IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 10 | सांचौर शुक्रवार, 15 मई 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

नाबार्ड निर्देश 2025-26: 'एक भूमि, एक अनुदान' नीति के साथ संशोधित ब्याज योजना लागू

नाबार्ड ने बदला कृषि ऋण का नियम, 3 लाख तक के कर्ज पर पारदर्शिता की नई व्यवस्था लागू

NABARD

अब 'एक जमीन, एक ब्याज अनुदान'

नाबार्ड का यह नया सर्कुलर कृषि ऋण व्यवस्था में जवाबदेही और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाला है। जहाँ एक ओर इससे सरकारी तिजोरी को गलत तरीके से चूना लगाने वालों पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर धरातल पर काम करने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए अस्तित्व बचाने का नया अवसर पैदा होगा, हालांकि, यह देखना बाकी है कि फाइलों के इस नए बोझ और तकनीकी कड़ाई के बीच आम किसान और जमीनी स्तर की संस्थाएं खुद को कैसे ढालती हैं।

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो खेती-किसानी के ऋण तंत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। नाबार्ड के इस ताजा फरमान ने विशेष रूप से उन किसानों की चिंता बढ़ा दी है जो अब तक एक ही कृषि भूमि पर अलग-अलग बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाकर 'दोहरी मलाई' खा रहे थे। राजस्थान जैसे राज्यों में, जहाँ कृषि साख की पूरी व्यवस्था सहकारी और व्यावसायिक बैंकों के बीच बंटी हुई है, वहाँ यह आदेश किसी कड़वी दवा से कम नहीं माना जा रहा है। नाबार्ड ने अब स्पष्ट कर दिया है कि 'भूमि एक है, तो उस पर ब्याज अनुदान का लाभ भी केवल एक ही खाते को मिलेगा'। असल में केसीसी योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कड़े नियम तय किए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर बैंकों को 1.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान मिलेगा। जो किसान अपने ऋण का भुगतान समय पर करेंगे, उन्हें 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान भी दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि समय पर पैसा चुकाने वाले अनुशासित किसानों को प्रभावी रूप से केवल 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा यह सुविधा 3 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगी, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपये तक की उप-सीमा तय की गई है। योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त 'एक भूमि खंड, एक अनुदान' की नीति है। नाबार्ड के सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी किसान के पास एक से अधिक केसीसी खाते हैं, तो वह तभी लाभ का पात्र होगा जब सभी खातों की कुल ऋण राशि 3 लाख रुपये से अधिक न हो। सबसे बड़ी चोट उस सिस्टम पर की गई है जहाँ किसान अपनी एक ही जमीन के कागजों पर पैक्स और व्यावसायिक बैंकों, दोनों से लाभ उठा रहे थे। अब यदि एक ही भूमि पर एक से अधिक खाते पाए जाते हैं, तो ब्याज अनुदान केवल उस खाते पर मिलेगा जिसकी ऋण राशि सबसे अधिक होगी या जिसे किसान स्वयं चुनेगा।

3,00,000 रुपये तक की ऋण सीमा पर ही लागू होगी ब्याज अनुदान की सुविधा

3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा समय पर कर्ज चुकाने वालों को

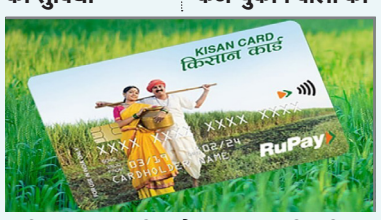

1 भूमि खंड पर अब केवल एक ही केसीसी खाते को मिलेगा सरकारी लाभ

100 % पारदर्शिता के लिए अनिवार्य होगी अब आधार सीडिंग और ई-केवाईसी

आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी अब अनिवार्य

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। किसानों को मिलने वाला सारा लाभ अब आधार सीडिंग से जुड़ा होगा। इसके साथ ही, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर ऋण स्वीकृत करने से पहले 'प्री-सैंक्शन एलिजिबिलिटी चेक' का उपयोग करें ताकि डुप्लिकेट ऋणों की पहचान हो सके। पोर्टल पर फसल की सटीक जानकारी और किसान की सामाजिक श्रेणी का डेटा दर्ज करना भी अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर ही ऑडिटेड दावों का निपटान किया जाएगा। योजना में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। गंभीर आपदा की स्थिति में पुनर्गठित ऋणों पर पहले तीन वर्षों या अधिकतम पांच वर्षों तक ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन लाभ भी मिलता रहेगा। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद अपनी उपज को गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु परक्राम्य गोदाम रसीदों पर भी वही ब्याज लाभ मिलेगा जो फसल ऋण पर लागू है।

व्यावसायिक बैंकों और सहकारी संस्थाओं के बीच खत्म होगी 'दोहरी साख'

राजस्थान के संदर्भ में यह आदेश पैक्स और लैम्पस जैसी सहकारी संस्थाओं के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। राज्य में अक्सर देखा गया है कि चतुर किसान व्यावसायिक बैंकों से 3 लाख की पूरी साख सीमा का लाभ उठाते थे और साथ ही पैक्स से भी छोटी किस्तों में ऋण ले लेते थे। चूँकि पैक्स का वजूद ब्याज मार्जिन पर टिका होता है, इसलिए बड़े बैंकों के भारी-भरकम ऋणों के आगे ये संस्थाएं दम तोड़ रही थीं। अब नए नियमों की सख्ती से सहकारी क्षेत्र को अपना खोया हुआ ऋण व्यवसाय वापस पाने की उम्मीद जगी है, क्योंकि 'दोहरे लाभ' का रास्ता बंद होने से किसानों को किसी एक बैंक का चुनाव करना होगा।

स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार' अभियान का शुभारम्भ

जयपुर । सहकारिता विभाग की कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 'स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार' विशेष अभियान का शुभारम्भ हुआ। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने नेहरू सहकार भवन का सघन निरीक्षण कर इस अभियान की शुरुआत की। 4 से 29 मई 2026 तक तीन चरणों में चलने वाले इस अभियान के तहत कार्यालयों की साफ-सफाई, पुराने रिकॉर्ड के प्रबंधन और कबाड़ के निस्तारण पर विशेष जोर दिया जाएगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि यह अभियान '5S' पद्धति (छँटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण और अनुशासन) पर आधारित है, जिससे कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनेगा और आमजन को त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने अनुपयोगी फाइलों को ई-फाइल में बदलने, दीवारों से पोस्टर हटाने और शौचालयों की नियमित सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्मिकों की बायोमीट्रिक उपस्थिति और समयबद्धता पर भी सख्ती दिखाई। अभियान की प्रगति की निगरानी "बिफोर और आफ्टर" फोटो के माध्यम से की जाएगी।

15 मई तक ऋण जमा न करने पर किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे...

भीषण गर्मी व सर्वर की 'लुका-छिपी' पर भारी पड़ा व्यवस्थापकों का जज्बा, बाड़मेर में 'मिशन ऋण वितरण' परवान पर...!

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । सीमावर्ती जिले में जहाँ आसमान से बरसती आग और भीषण लू ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं सहकारी आंदोलन त्रिस्तरीय "ढांचागत" ने किसानों की मदद के लिए दिन-रात एक कर दिया है। विपरीत परिस्थितियों और तकनीकी बाधाओं के बावजूद, बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़ी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने कर्तव्यनिष्ठा की अनूठी मिसाल पेश की है इस वर्ष ऋण वितरण की राह कांटों भरी रही। एक ओर पैक्स स्तर पर एफआईजी पोर्टल का सर्वर बार-बार डाउन रहा, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या ने चुनौती खड़ी की। इसके अतिरिक्त, 27 फरवरी से 21 अप्रैल तक चले कार्य बहिष्कार के कारण समय का भी अभाव था। लेकिन कार्य पर लौटते ही व्यवस्थापकों ने पिछले 20 दिनों में जिस समर्पण से कार्य किया, उसका परिणाम आज धरातल पर दिख रहा है सहकारिता विभाग ने पूर्व में आई बाधाओं को देखते हुए ऋण वसूली की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई किया था। अब इसमें केवल एक दिन शेष है। सीसीबी की 920 करोड़ रुपये की कुल डिमांड में से 150 करोड़ रुपये की वसुली अभी शेष हैं तथा यदि किसान आज ऋण जमा नहीं कराते, तो वे 'डिफॉल्टर' घोषित हो जाएंगे एव डिफॉल्टर होने पर किसानों को 7% दंडनीय ब्याज और 2% अतिरिक्त पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

शाखावार ऋण वितरण: खरीफ सीजन का लाभ

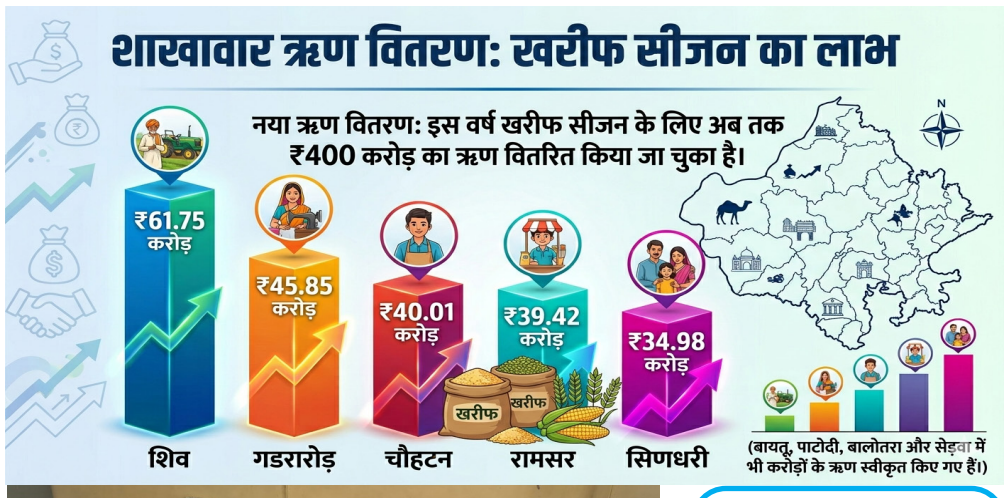

गिड़ा पैक्स में खरीफ ऋण वितरण करते हुए

अंतिम छोर तक पहुँचने का लक्ष्य

भीषण गर्मी के बावजूद बैंक अधिकारी और पैक्स व्यवस्थापक लगातार गांवों में किसानों से संपर्क साध रहे हैं। बैंक का मुख्य ध्येय यह है कि 15 मई की अंतिम समय सीमा तक अधिक से अधिक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ मिले और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

गबन नहीं पकड़ पाने पर दो सीए फर्मों पर गिरी गाज, रजिस्ट्रार ने किया ब्लैकलिस्ट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के सहकारिता विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सवाई माधोपुर की तलावड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपये के गबन को ऑडिट के दौरान नहीं पकड़ पाने और लापरवाही बरतने के कारण यह सख्त कदम उठाया गया है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तलावड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के निरीक्षण में सामने आया कि बैंक रिकॉर्ड और समिति के रिकॉर्ड के बीच करीब 3.66 करोड़ रुपये का बड़ा अंतर है। जांच में पाया गया कि समिति के पूर्व व्यवस्थापकों ने मिलीभगत कर करोड़ों रुपये का गबन किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 'रामावतार गिर्राज एण्ड कंपनी' (गंगापुर सिटी) और 'संदीप नरेन्द्र गोयल एण्ड एसोसिएट्स' (सवाई माधोपुर) ने समिति का ऑडिट किया था। इतने वर्षों तक ऑडिट करने के बावजूद ये फर्में 3.66 करोड़ रुपये के भारी गबन को पकड़ने में पूरी तरह विफल रहीं। इसे पेशेवर लापरवाही और वैधानिक उत्तरदायित्वों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने इन दोनों फर्मों को तत्काल प्रभाव से पैनल से बाहर (डी-पैनल) कर दिया है। अब ये फर्में भविष्य में किसी भी सहकारी संस्था का ऑडिट नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही विभाग ने इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' को भी पत्र लिखा है।

व्यवस्थापकों के स्क्रीनिंग मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग और नियमितीकरण से जुड़े एक गंभीर मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश भीलवाड़ा की अखेपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश चंद्र सुथार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ में तर्क दिया कि रमेश चंद्र सुथार वर्ष 2009 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। शुरू में सेल्समैन, फिर सहायक व्यवस्थापक और वर्तमान में व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत होने के बावजूद उसे आज तक नियमित नहीं किया गया है। वर्तमान में उसे केवल एक निश्चित मानदेय दिया जा रहा है, जो पद के निर्धारित वेतनमान से काफी कम है। याचिका में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के आधार पर उचित वेतन की मांग भी की गई है। अधिवक्ता अशोक कुमार चौधरी ने न्यायालय का ध्यान पैक्स लैम्प्स सेवा नियम, 2022 की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि इन नियमों में वर्ष 2017 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकमुश्त स्क्रीनिंग का स्पष्ट प्रावधान है। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी किसी कमेटी का गठन नहीं किया है। यह देरी सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है और सैकड़ों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। एकलपीठ ने प्रकरण की आगामी सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है, जिसमें सरकार को स्क्रीनिंग कमेटी के गठन और नियमितीकरण की प्रक्रिया पर अपना पक्ष रखना होगा।

अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों का बीमा अनिवार्य

'राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' 2026-27 के लिए लागू; 291 रुपये में मिलेगा 10 लाख का सुरक्षा कवच

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) ने किसानों के लिए 'राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी लागू कर दिया है। बैंक के प्रबन्ध निदेशक रणजीत सिंह चुंडावत ने इस संबंध में प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंक ने मैसर्स आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जो 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस योजना के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु के ऋणी किसानों को

अनिवार्य रूप से बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले अल्पकालीन फसली ऋणी काश्तकारों का बीमा करना अनिवार्य होगा, जबकि अमानतदारों और स्टाफ सदस्यों के लिए यह योजना स्वैच्छिक रखी गई है। बीमित किसान को मात्र 291 रुपये (प्रीमियम 246.61 रुपये + जीएसटी 44.39 रुपये) के सालाना प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। योजना को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए बीमा कंपनी एक विशेष पोर्टल तैयार करेगी, जिसके माध्यम से सिस्टम जनरेटेड पॉलिसी जारी की जाएंगी। इन पॉलिसियों में किसान का नाम, पता और क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेजों का विवरण दर्ज होगा। किसानों के खातों से प्रीमियम की राशि कटते ही उन्हें सुरक्षा कवच उपलब्ध हो जाए, इसके लिए प्रत्येक सहकारी बैंक बीमा कंपनी को एक लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा कराएगा।

सालाना प्रीमियम मात्र

291 रुपये

प्रीमियम 246.61 रुपये
जीएसटी + 44.39 रुपये

दावा निस्तारण की सरल प्रक्रिया

दावा निस्तारण की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। दुर्घटना की स्थिति में दावा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) को किया जाएगा। हालांकि, बैंक पहले यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक सदस्य की बकाया ऋण राशि वसूल कर ली जाए, जिसके लिए शाखा स्तर पर नॉमिनी से डेबिट ऑथोरिटी ली जाएगी। क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज पैक्स व्यवस्थापक के माध्यम से पोर्टल पर स्कैन कर भेजे जा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, किसानों की सहायता के लिए 'डॉक्टर ऑन कॉल' की सुविधा भी दी गई है, जहां किसान निर्धारित टोल-फ्री नंबर पर 5 कॉल तक निशुल्क परामर्श ले सकेंगे।

संकट में पैक्स-लैम्पस ढांचा: रिक्त पद और वित्तीय कुप्रबंधन बनी बाधा

राजस्थान के ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार माने जाने वाला सहकारी ढांचा आज गंभीर चुनौतियों से घिरा है। नियमित नेतृत्व का अभाव और वित्तीय कुप्रबंधन इस व्यवस्था को भीतर से खोखला कर रहे हैं। जिस सहकारिता मॉडल को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, वह वर्तमान में स्वयं अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (पैक्स), जो इस तंत्र की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, व्यवस्थापकों के भारी अभाव के कारण प्रशासनिक विफलता का शिकार हो रही हैं। प्रदेश में व्यवस्थापकों के 4,017 रिक्त पद यह स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि किसी भी संस्था की सफलता उसके स्थायी मानव संसाधन और कुशल नेतृत्व पर टिकी होती है।

नियमित भर्तियों के अभाव में इन समितियों का संचालन अस्थायी या संविदा कर्मियों के भरोसे है, जिससे जवाबदेही का अभाव बना रहता है। सरकारी स्तर पर 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181)' के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण या अनियमितताओं पर निलंबन जैसी कार्रवाइयां केवल सतही उपचार हैं। वास्तविक सुधार तभी संभव है जब समितियों के पास एक नियमित और प्रशिक्षित कैडर हो। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में लागू की गई एफआईजी पोर्टल प्रणाली और ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था ने पारदर्शिता का वादा तो किया, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर इसने समितियों की स्वायत्तता को सीमित कर दिया है। तकनीकी जटिलताओं और बैंकों के पास फंड की कमी के कारण हजारों पात्र किसान ऋण की कतार से बाहर हो गए हैं। बयाना जैसे क्षेत्रों की स्थिति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ किसान वर्षों से ऋण मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वर्तमान में जब कृषि लागत—बीज, खाद और कीटनाशक से लेकर डीजल तक—तेजी से बढ़ रही है, तब नए सदस्यों के लिए मात्र 15,000 से 25,000 रुपये की ऋण सीमा 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। यह अपर्याप्त राशि किसानों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है, जिसके परिणामस्वरूप वे पुनः निजी साहूकारों के चंगुल में फंसने को मजबूर हो जाते हैं, जो सहकारिता के मूल सिद्धांतों की पराजय है। सबसे विकट समस्या सहकारी बैंकों की वित्तीय तरलता (Liquidity) का संकट है। ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत मिलने वाली करोड़ों की ब्याज अनुदान राशि और पूर्ववर्ती ऋण माफी का लंबित भुगतान सरकारी फाइलों में अटका हुआ है। सरकार की इस कार्यप्रणाली ने केंद्रीय सहकारी बैंकों को संचित हानि के दलदल में धकेल दिया है। जब बैंकों की तिजोरियां ही खाली होंगी, तो नाबार्ड की पुनर्वित्त नीतियां भी उन्हें सहारा देने में असमर्थ सिद्ध होंगी।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला : पिंक सिटी की फिजाओं में महकती है मसालों की महक

सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन रहा है। हर साल अप्रेल-मई माह में जब मसाला मेले का आयोजन किया जाता है तो जयपुर की फिजा देश-प्रदेश के मसालों की खुशबू से महकती है। स्वाद, संस्कृति और सहकारिता के अनूठे संगम इस मेले के माध्यम से सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि का उचित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होता है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो वर्ष 2003 से निरन्तर सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए उपभोक्ताओं को शुद्ध मसाले व अन्य उत्पाद उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस मसाला मेले का जयपुरवासियों को खास इंतजार रहता है। मेले में विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं के साथ ही राज्य की सहकारी संस्थाओं द्वारा भागीदारी की जाती है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही इस मेले के आयोजन से लाभान्वित होते हैं तथा जयपुरवासियों को शुद्ध मसालों सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पाते हैं। इस बार जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में 17 से 26 अप्रेल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया। दस दिन के इस आयोजन में जयपुरवासियों का जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला तथा उन्होंने जमकर मसालों और अन्य उत्पादों की खरीददारी की। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के मार्गदर्शन एवं शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा के निर्देशन में दस दिवसीय इस आयोजन ने न केवल जयपुरवासियों को देशभर के उत्कृष्ट मसालों और पारंपरिक उत्पादों से रूबरू कराया, बल्कि सहकारिता आधारित विपणन की सफलता का प्रभावशाली उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मेले में इस बार लगभग 5.50 करोड़ रुपये के मसालों और अन्य उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब सवा करोड़ रुपये अधिक रही। यह उपलब्धि अब तक की सर्वाधिक बिक्री के रूप में दर्ज हुई, जिसने मेले की लोकप्रियता और विश्वास को और सुदृढ़ किया। मेले में पहली बार लगभग 160 स्टॉल्स पर उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 अधिक है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहली बार ट्रॉली सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे खरीदारी का अनुभव और सहज बना। जन-जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल लगाई गई। वहीं, आर्गेनिक उत्पाद, श्री अन्न उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद तथा जीआई टैग उत्पादों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर मेले को विशिष्ट पहचान दी गई। ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं कृषक उत्पादक संगठनों की प्रभावी भागीदारी ने मेले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता सशक्तीकरण से भी जोड़ा। मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए मसाले और पारंपरिक उत्पाद उपभोक्ताओं के आकर्षण का केंद्र बने। केरल की काली मिर्च और लौंग, इरोड की हल्दी और दालचीनी, कश्मीर की केसर और ड्राई फ्रूट्स, पंजाब के चावल, मध्यप्रदेश का सिहोरी गेहूं, मथानिया की लाल मिर्च, नागौर का जीरा, रामगंजमंडी का धनिया, प्रतापगढ़ की हींग, जालोर की ईसबगोल, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठण्डाई, बीकानेर के पापड़ सहित अनेक उत्पादों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। सहकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार श्री अन्न आधारित उत्पादों को भी उपभोक्ताओं ने विशेष पसंद किया। वहीं मोबाइल चक्की के माध्यम से निशुल्क हाथों-हाथ मसाले पिसवाने की सुविधा ने मेले को और अधिक उपयोगी व आकर्षक बनाया। मेले में प्रतिदिन अलग-अलग संभागों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इन प्रस्तुतियों ने आगन्तुकों को भाव-विभोर किया और मेले की भव्यता में चार चांद लगाए। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्रॉ एवं समापन पर मेगा बम्पर ड्रॉ की व्यवस्था भी की गई । प्रतिदिन तीन लक्की ड्रॉ निकाले गए, जिनमें प्रथम पुरस्कार में 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 3100 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार में 2100 रुपये का श्रीअन्न-मसाला गिफ्ट हैम्पर दिया गया। इसी प्रकार, मेले के समापन में हुए मेगा बम्पर ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार में स्मार्ट टीवी, द्वितीय पुरस्कार में डबल डोर फ्रिज तथा तृतीय पुरस्कार में आटा मिलेट चक्की विजेताओं को दी गई। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि सहकारिता, स्थानीय उत्पादों, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत सेतु के रूप में उभरा है। रिकॉर्ड बिक्री, नवाचार, व्यापक सहभागिता और जन-उत्साह के साथ इस वर्ष का मेला यह सिद्ध करता है कि सहकारिता के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में यह आयोजन एक प्रभावी मंच बन चुका है। यह मेला वास्तव में 'सहकार से समृद्धि' की भावना को साकार कर रहा है।

> **"राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 'सहकार से समृद्धि' का प्रतीक बन गया है। इस वर्ष रिकॉर्ड 5.50 करोड़ रुपये की बिक्री और 160 स्टॉल्स ने सहकारिता, शुद्धता और ग्रामीण सशक्तिकरण की नई सफलता गाथा लिखी है।"**

सफलता की कहानी....

सहकार से समृद्धि: झालावाड़ की हिम्मतगढ़ समिति ने लिखी आर्थिक सशक्तीकरण की नई इबारत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

झालावाड़ । राजस्थान की मरुधरा पर इन दिनों सहकारिता के क्षेत्र में एक मौन क्रांति अंगड़ाई ले रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के कुशल निर्देशन में राज्य की सहकारी समितियां अब महज ऋण वितरण के केंद्रों तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनकर उभर रही हैं। इस बदलाव की सबसे जीवंत और प्रेरणादायी तस्वीर झालावाड़ जिले की 'हिम्मतगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति' में देखने को मिलती है। यह कहानी केवल एक संस्था के आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास की विजय गाथा है, जिसने पारंपरिक खेती और सहकारिता के बीच तकनीक और नवाचार का सेतु बना दिया है। झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर रायपुर-पिड़ावा मार्ग पर स्थित हिम्मतगढ़ समिति का सफर वर्ष 1957 में एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू हुआ था। सात दशकों के लंबे अंतराल के बाद, आज यह समिति हिम्मतगढ़, हनोतिया, धारुखेड़ी, बंजारी और टिकटिकिया जैसे गांवों के किसानों के लिए 'भाग्य विधाता' सिद्ध हो रही है। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ है—समय की मांग को पहचानना और नवीन गतिविधियों को आत्मसात करना। जहाँ कभी यहाँ केवल कागजी कार्यवाही का बोलबाला था, वहीं आज आधुनिकता और पारदर्शिता की नई किरण दिखाई देती है। हिम्मतगढ़ समिति की इस कायाकल्प का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 'पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना' है। डिजिटलीकरण के इस दौर में जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही थी, तब इस समिति ने भी अपने सदस्यों का संपूर्ण डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर खुद को 'गो-लाइव' किया। आज यहाँ का हर लेन-देन, हर रिकॉर्ड और हर गतिविधि पारदर्शी है। मैन्युअल कार्यों की जटिलता और देरी अब बीते वक्त की बात हो गई है। किसानों को अब अपने खातों या ऋण की स्थिति जानने के लिए फाइलों के ढेर में दबने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तकनीकी बदलाव ने न केवल कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि आमजन के मन में सहकारिता के प्रति उस विश्वास को पुनः स्थापित किया है, जो कभी धुंधला पड़ता जा रहा था। आर्थिक सशक्तीकरण की इस राह में समिति ने केवल ऋण वितरण तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। आज हिम्मतगढ़ समिति ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण के साथ-साथ 'राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के जरिए पशुपालकों को भी संबल प्रदान कर रही है। कृषि निवेश के क्षेत्र में समिति ने खुद को एक सशक्त व्यापारिक इकाई के रूप में स्थापित किया है। उर्वरक, कीटनाशक और बीज की बिक्री के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिले और उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री प्राप्त हो। समिति की सफलता का एक और प्रभावशाली अध्याय 'कॉमन सर्विस सेंटर' (CSC) की शुरुआत है। गाँव के सीधे-सादे किसान के लिए डिजिटल सेवाओं का लाभ लेना पहले किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हिम्मतगढ़ समिति किसानों के लिए 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' बन गई है। केसीसी, फसल बीमा, पैन कार्ड बनवाना हो या बिजली का बिल जमा करना—अब ग्रामीणों को शहर की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र' के रूप में कार्य करते हुए यह समिति क्षेत्र के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध करा रही है, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत हो रही है। हिम्मतगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति की आय में हुई निरंतर वृद्धि और इसके सदस्यों के जीवन में आई खुशहाली इस बात का प्रमाण है कि यदि इरादे मजबूत हों और दिशा सही हो, तो 'सहकार से समृद्धि' का नारा केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि एक हकीकत बन जाता है। यहाँ का हर सदस्य अब खुद को इस विकास यात्रा का सहभागी मानता है। समिति ने यह सिद्ध कर दिया है कि नवीन गतिविधियों को अपनाकर और तकनीक से हाथ मिलाकर एक छोटी सी ग्रामीण समिति भी राज्य के आर्थिक मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकती है। झालावाड़ की यह छोटी सी चिंगारी अब पूरे राजस्थान की सहकारी समितियों के लिए मशाल बनकर राह दिखा रही है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतारने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

सफलता की कहानी....

बदलाव की बयार: खाद-बीज से लेकर कोचिंग-लाइब्रेरी तक, बापेऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति की नई उड़ान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बीकानेर । रेतीले धोरों और परंपराओं की धरती बीकानेर में जब बदलाव की बयार चली, तो उसने विकास के पुराने पैमानों को बदलकर रख दिया। यहाँ की बापेऊ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति आज केवल एक वित्तीय संस्था मात्र नहीं रह गई है, बल्कि ग्रामीण उत्थान और आधुनिकता का एक जीवंत केंद्र बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के कुशल मार्गदर्शन में यह समिति 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। यह कहानी है एक ऐसी संस्था की, जिसने पारंपरिक खेती-किसानी के दायरे से बाहर निकलकर शिक्षा, तकनीक और सेवा के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 1962 में एक छोटे से बीज के रूप में रोपी गई यह समिति आज बापेऊ, बापेऊ पुरोहितान और राजेडु जैसे गाँवों के लिए वटवृक्ष बन चुकी है। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के बावजूद, इसकी चमक पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। जहाँ कभी सहकारी समितियों का नाम आते ही केवल खाद और कर्ज की तस्वीर जेहन में उभरती थी, वहीं बापेऊ समिति ने अपनी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज यहाँ का किसान केवल ऋण लेने नहीं आता, बल्कि यहाँ का युवा अपने भविष्य को गढ़ने के लिए लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का रुख करता है। समिति की इस असाधारण यात्रा की नींव उसकी सुदृढ़ आर्थिक नीतियों और किसानों के प्रति अटूट समर्पण पर टिकी है। बापेऊ समिति ने अपने कार्यक्षेत्र के अन्नदाताओं को लगभग 2.45 करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित कर उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराया है। केवल ऋण ही नहीं, बल्कि उत्तम गुणवत्ता के उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों की उपज और आय बढ़ाने में महती भूमिका निभाई है। प्रतिवर्ष करीब 90 लाख रुपये की कृषि आदानों की बिक्री इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीणों का इस संस्था पर कितना गहरा विश्वास है। 100 मीट्रिक टन क्षमता का विशाल गोदाम और आधुनिक कस्टम हायरिंग सेंटर इस समिति की रीढ़ हैं, जहाँ से किसान अपनी जरूरत के उन्नत कृषि यंत्र किराये पर लेकर अपनी खेती को आधुनिक बना रहे हैं। लेकिन बापेऊ समिति की सफलता का सबसे प्रभावशाली अध्याय इसकी नवीन गतिविधियाँ हैं। समय की नब्ज को पहचानते हुए समिति ने 'शिक्षा' को अपनी प्राथमिकता बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था, वहां समिति ने स्वयं की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर शुरू कर एक मिसाल पेश की है। वातानुकूलित वातावरण, बेहतरीन फर्नीचर और सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित यह केंद्र आज गाँव की नई पीढ़ी के सपनों को उड़ान दे रहे हैं। यह कदम न केवल समिति की आय का नया स्रोत बना है, बल्कि इससे वह शिक्षित वर्ग भी सहकारिता से जुड़ गया है, जो अब तक इससे अछूता था। डिजिटलीकरण के इस दौर में बापेऊ समिति ने खुद को पूरी तरह हाई-टेक बना लिया है। समिति का संपूर्ण कामकाज अब कम्प्यूटरीकृत हो चुका है और सदस्यों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। इस पारदर्शिता ने व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म कर दिया है और काम की गति को पंख लगा दिए हैं। समिति द्वारा संचालित 'कॉमन सर्विस सेंटर' (सीएससी) ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अब पासपोर्ट बनवाना हो, पैन कार्ड के लिए आवेदन करना हो, बिजली का बिल भरना हो या पीएम किसान पंजीकरण कराना हो, ग्रामीणों को शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक ही छत के नीचे डिजिटल सेवाओं का यह संगम बापेऊ को एक 'स्मार्ट विलेज' की पहचान दिला रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण हो या किसानों को खाद-बीज की आपूर्ति, समिति का प्रबंधन हर मोर्चे पर मुस्तैद नजर आता है। बापेऊ बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की यह गौरवगाथा यह संदेश देती है कि यदि नेतृत्व में इच्छाशक्ति हो और सरकार का सहयोग मिले, तो एक सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर सकती है। आज यह समिति न केवल आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि अन्य सहकारी समितियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रही है। सहकारिता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक बदलाव की यह लहर आने वाले समय में राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद बनेगी। बापेऊ की सफलता यह सिद्ध करती है कि जब जन-भागीदारी और आधुनिक सोच का मेल होता है, तो विकास की कहानी इसी तरह प्रभावशाली और प्रेरणादायी बनती है।

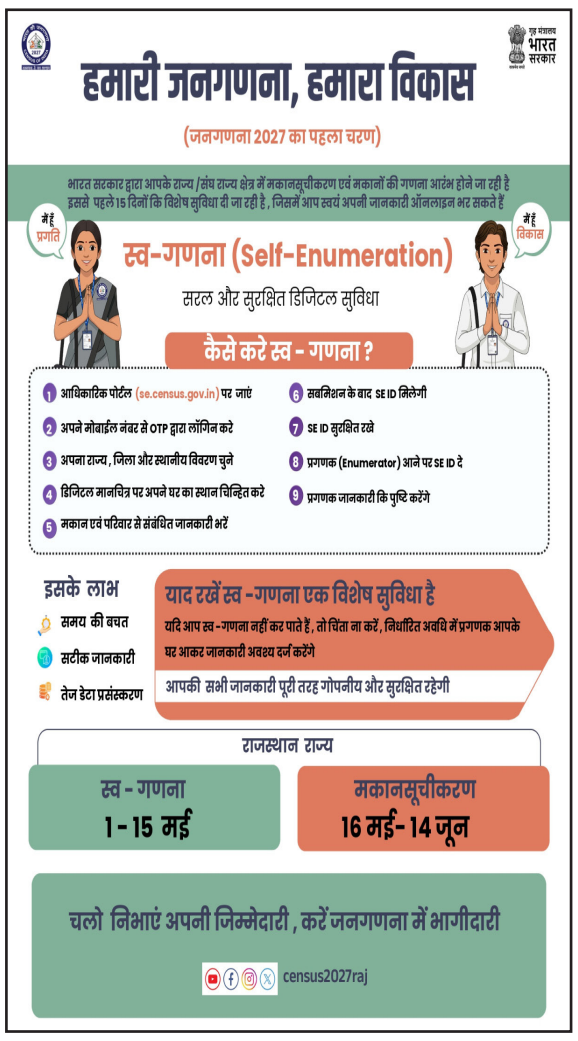

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना: क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम, उत्तर प्रदेश का दल पहुंचा राजस्थान मॉडल सीखने

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अंतर्गत संचालित 'सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राजस्थान अब अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन गया है। योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। गोदाम निर्माण के राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल प्रदेश दौरे पर है। दल में शामिल सदस्यों ने मंगलवार को नेहरू सहकार भवन में सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा से भेंट कर राजस्थान में गोदाम निर्माण की कार्यप्रणाली, वित्तीय मॉडल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डॉ. शर्मा ने दल को बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में गोदामों का निर्माण संबंधित सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे एजेंसियों के कमीशन का अतिरिक्त भार समाप्त होने के कारण निर्माण लागत में कमी आई है। राज्य में गोदाम 4000 से 5500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्मित किए जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। साथ ही, विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी एवं मॉनिटरिंग के माध्यम से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। शासन सचिव ने बताया कि सभी गोदामों का निर्माण डब्ल्यूडीआरए के निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गोदाम के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है तथा गोदाम निर्माण हेतु शत-प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। गोदामों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें किराये पर उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विस्तृत एसओपी भी जारी की गई है। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के मुख्य अभियंता श्री परीक्षित त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता श्री सतेन्द्र सिकरवार तथा एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक श्री प्रतीक के. शर्मा शामिल हैं।

राजस्थान मॉडल की खासियत

- निर्माण लागत मात्र 4000 - 5500 रूपये प्रति मीट्रिक टन
- शत-प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने वाला देश का एकमात्र राज्य
- निर्माण कार्य संबंधित सहकारी समितियों के माध्यम से
- नियमित निगरानी एवं मॉनिटरिंग से गुणवत्ता सुनिश्चित

98 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका

डॉ. शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 250 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 100, वर्ष 2025-26 में 100 तथा वर्ष 2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण लक्षित है। इससे राज्य में कुल 1.25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत 98 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 91 गोदाम निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2026-27 के लिए गोदामों के चयन की प्रक्रिया जारी है। दल ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) श्री शुद्धोधन उज्ज्वल एवं संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) श्रीमती कल्पना जोशी से भी विस्तार से चर्चा कर राजस्थान मॉडल की तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझा। साथ ही, दल ने फील्ड विजिट कर निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके गोदामों का निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का अवलोकन किया।

सीसीबी ने दिवंगत किसान की पत्नी को सौंपा 10 लाख रुपए का चेक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की कृषि उपज मंडी स्थित शाखा में राज्य सरकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत दिवंगत ऋणी किसान हनुमान राम के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए 10 लाख रुपए की क्लेम राशि का चेक उनके वारिस को सुपुर्द किया गया। शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि डूगेरों का तला ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य हनुमान राम पुत्र लिखमाराम की वर्ष 2025 में एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। नियमानुसार बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा 10 लाख रुपए की राशि उनकी पत्नी श्रीमती दली देवी के नाम से स्वीकृत की गई। बैंक परिसर में दिवंगत की पत्नी को यह चेक सौंपा गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक मोतीलाल सुथार के साथ बैंकिंग सहायक गौरव पारीक, व्यवस्थापक हनुमान राम, सबल सिंह, काछबदान, करनाराम चौधरी और बाबू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

डाक विभाग की फ्रेंचाइजी योजना 2.0 की शुरुआत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही | भारतीय डाक विभाग द्वारा आमजन और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "फ्रेंचाइजी योजना 2.0" की शुरुआत की गई है । सिरोही मंडल के अधीक्षक डाकघर श्री अखाराम ने बताया कि इस नई नीति को पूर्व की तुलना में अधिक व्यावहारिक और लाभकारी बनाया गया है । अब फ्रेंचाइजी पार्टनर न केवल डाक बुकिंग कर सकेंगे, बल्कि उन्हें पार्सल पिकअप और वितरण (डिलीवरी) जैसी सेवाओं से भी जोड़ा गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी । योजना के तहत स्पीड पोस्ट, अंतरराष्ट्रीय ईएमएस और पार्सल बुकिंग के साथ-साथ ऑनलाइन "क्लिक एंड बुक" सेवा के तहत लेखों का संग्रहण किया जा सकेगा । इस योजना में बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी पर अलग-अलग दरों से कमीशन निर्धारित है । विशेष रूप से "क्लिक एंड बुक" सेवा के तहत पिकअप कार्य के लिए प्रति लेख ₹25 तक का कमीशन और पार्सल डिलीवरी पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है । पात्रता के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, हालांकि केवल डिलीवरी कार्य के लिए 10वीं उत्तीर्ण भी आवेदन कर सकते हैं । आवेदक के पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, वैध पैन कार्ड और डिलीवरी कार्य हेतु ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन होना अनिवार्य है । इस योजना का मुख्य लक्ष्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना है । इच्छुक व्यक्ति विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर या सिरोही मंडल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ।

कमजोर रेटिंग वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए बनेगा 'टर्न अराउंड प्लान'

नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की 62वीं बैठक आयोजित

शासन सचिव, सहकारिता ने दिए केवाईसी एवं वैधानिक मानकों की पालना के निर्देश -कहा- केंद्रीय सहकारी बैंक ग्राहकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं मोबाइल बैंकिंग सेवाएं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई नाबार्ड की बैठक में कमजोर सहकारी बैंकों के सुधार हेतु 'टर्न अराउंड प्लान', PACS कंप्यूटरीकरण और 10 लाख रूपे कार्ड वितरण का लक्ष्य तय किया गया।

जयपुर | स्थित नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में उच्च स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की 62वीं बैठक सोमवार को सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु कमजोर वित्तीय स्थिति वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए 'टर्न अराउंड प्लान' तैयार करना रहा। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन बैंकों को नाबार्ड निरीक्षण में 'सी' और 'डी' रेटिंग प्राप्त हुई है, उनके सुधार के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और उसकी हर महीने नियमित समीक्षा की जाए। विशेष रूप से पाली और जैसलमेर केंद्रीय सहकारी बैंकों को वैधानिक मानकों के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही और वित्तीय वर्ष के बैंकिंग मानकों की समीक्षा करते हुए डॉ. शर्मा ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बैंकों को केवाईसी (KYC) मानकों की समयबद्ध पालना और बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1956 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही, भारत सरकार के 'सहकार से समृद्धि' अभियान के तहत पैक्स (PACS) कंप्यूटरीकरण कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रथम चरण की 6,781 पैक्स का पूर्ण कंप्यूटरीकरण 30 जून तक पूरा कर लिया जाए और तकनीकी कमियों को दूर कर इन्हें जल्द से जल्द 'गो-लाइव' स्थिति में लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 'सहकारिता में सहकार' अभियान के अंतर्गत लगभग 12 हजार सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक समितियों को नाबार्ड की मदद से जल्द माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराए जाएंगे। इन माइक्रो एटीएम के माध्यम से ग्रामीणों और पशुपालकों को उनके घर के पास ही खाता खोलने और बैंकिंग लेनदेन की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही, सहकारी बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं शुरू करने और किसानों को रूपे डेबिट कार्ड जारी करने के निर्देश भी दिए गए, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई जिलों के प्रबंध निदेशक भी उपस्थित रहे।

प्राकृतिक आपदा में बैंक कर्जदारों को खुद दे सकेंगे राहत, आरबीआई ने दी मंजूरी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैंक अब उधारकर्ताओं के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही उन्हें राहत दे सकेंगे। नए नियम एक जुलाई, 2026 से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने अपने निर्देश में कहा है कि कर्जदाताओं को सभी पात्र उधारकर्ताओं को अपने स्तर पर ही राहत देने की अनुमति होगी। हालांकि ग्राहक चाहें तो प्राकृतिक आपदा घोषित होने के 135 दिनों के भीतर इससे बाहर निकल सकते हैं।नए दिशा-निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। आरबीआई के मुताबिक, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंक अस्थायी परिसरों से शाखाएं चला सकेंगे और सैटेलाइट ऑफिस, एक्सटेंशन काउंटर या मोबाइल बैंकिंग के जरिए सेवाएं बहाल कर सकेंगे। एटीएम सेवाओं को जल्द चालू करने और नकदी जरूरतों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैंक अपने विवेक से एक वर्ष तक शुल्क और अन्य मदों में छूट या कटौती कर सकते हैं। राहत केवल उन खातों को मिलेगी जो 'स्टैंडर्ड' श्रेणी में हैं और आपदा के समय 30 दिन से अधिक बकाया में नहीं थे। आरबीआई ने यह भी कहा, 'अगर आपदा के बाद कोई खाता गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) हो जाता है, तो समाधान योजना लागू होने पर उसे फिर से 'स्टैंडर्ड' श्रेणी में अद्यतन किया जा सकेगा। ' साथ ही, बैंकों को ऐसे खातों पर बकाया कर्ज का अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रावधान करना होगा, जो मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त होगा।

57,400 लाख की अमानत और 195 लाख नॉन फण्ड आय का रखा टारगेट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर | सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए सभी शाखाओं के लिए कड़े व्यापारिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बैंक के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह ने इस वर्ष के लिए कुल 57,400 लाख रुपये की अमानत वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत बैंक ने अपनी विभिन्न शाखाओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सर्वाधिक 15,588 लाख रुपये का लक्ष्य जालौर वीडीसी को दिया गया है। इसके अलावा भीनमाल, आहोर, सांचौर और सायला जैसी प्रमुख शाखाओं को भी करोड़ों रुपये की अमानत राशि जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक का मुख्य उद्देश्य न केवल जमा राशि बढ़ाना है, बल्कि बचत और चालू खातों की संख्या में भी भारी वृद्धि करना है। इसके लिए कुल 4,41,326 नए खातों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें बचत खातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय मजबूती के लिए बैंक ने इस बार 195 लाख रुपये की नॉन-फण्ड आय का भी लक्ष्य रखा है, जिसे तिमाही आधार पर विभाजित किया गया है ताकि वर्ष के अंत तक बैंक की लाभप्रदता सुनिश्चित हो सके। प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बैंक की प्रगति के लिए नाबार्ड के मानकों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ और मिनी बैंकों के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना तैयार करें। लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए हर महीने प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिससे बैंक का सर्वांगीण विकास हो सके और क्षेत्र के किसानों व ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल सकें। यह रणनीति बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

केंद्रीय सहकारी बैंकों में डिप्टी मैनेजर, बैंकिंग सहायक और लोन सुपरवाइजर की शीघ्र भर्ती के निर्देश

बैंकिंग कामकाज को सुचारू बनाने की कवायद : डॉ. समित शर्मा ने दिए निर्देश, सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया होगी जल्द शुरू

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों का कामकाज अधिक सुचारू बनाने के लिए लोन सुपरवाइजर्स, बैंकिंग सहायक तथा डिप्टी मैनेजर्स की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। यह वक्तव्य सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, डॉ. समित शर्मा ने अपेक्स बैंक सभागार में दिया । दरअसल, डॉ. समित शर्मा केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहें थे । उन्होने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाओं में जनता की जमा पूंजी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास आधारित व्यवस्था के साथ-साथ साक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे लेनदेन ऑनलाइन होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान को पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी तकनीकी कमियों को जल्द दूर किया जाए और आगामी बैठक से पहले सभी पैक्स में 'डायनामिक डे-एंड' का कार्य पूरा किया जाए। भविष्य में निर्धारित मानकों के आधार पर पैक्स की रेटिंग भी की जाएगी। शासन सचिव ने अपेक्स बैंक को देश का सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों से मिल रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए सहकारी बैंकों को अपनी सेवाओं का स्तर सुधारना होगा। अब सभी सहकारी बैंकों में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने बैंक शाखाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, राइसेम के निदेशक संजय पाठक, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूण्डावत सहित नाबार्ड और सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।

AEBAS के जरिए अनुशासन

वित्तीय अनुशासन पर चर्चा करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि अपात्र व्यक्तियों को ऋण न दिया जाए और ऋण वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने बैंकों को अपना सीआरएआर (CRAR) मानकों के अनुरूप रखने, डिपॉजिट बढ़ाने, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने और एनपीए (NPA) के स्तर को कम करने के कड़े निर्देश दिए। प्रशासनिक सुधारों के तहत अब सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों और उनकी शाखाओं में 'आधार इनेबल्ड बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम' (AEBAS) अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

मारवाड़ का मित्र — जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर मारवाड़ का मित्र facebook.com/marwarkamitra visit,Like and share — फेसबुक पेज

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) शुक्रवार, 15 मई 2026

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने किया 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण

शिकायत सही मिलने पर पैक्स व्यवस्थापक को किया निलंबित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब मिलना चाहिए।

96% शिकायतों का हुआ त्वरित निस्तारण
- 1,22,779 कुल दर्ज शिकायतें
- निस्तारित शिकायतें 1,18,340
- निस्तारण प्रतिशत लगभग 96
- औसत निस्तारण समय 13 दिन

जयपुर । शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का औचक निरीक्षण सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की और स्वयं परिवादियों से फोन पर संवाद कर उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करवाया। शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता न होकर व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास बना रहे। निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने करीब एक दर्जन परिवादियों से सीधे बात की। संवाद के दौरान अलवर जिले के एक किसान ने शिकायत की कि महाराजावास ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने उन्हें स्वीकृत अल्पकालीन फसली ऋण की पूरी राशि उपलब्ध नहीं करवाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन सचिव ने तत्काल पैक्स व्यवस्थापक, केंद्रीय सहकारी बैंक अलवर के एमडी और अपेक्स बैंक के एमडी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। शिकायत सही पाए जाने पर डॉ. शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए समिति व्यवस्थापक अभय यादव को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही, अलवर के प्रबंध निदेशक को राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा-55 के तहत जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसी क्रम में अजमेर के परिवादी सुरेंद्र द्वारा 5 वर्षों से फसली ऋण न मिलने की शिकायत पर शासन सचिव ने संबंधित अधिकारियों को शाम तक निस्तारण रिपोर्ट देने और देरी के लिए जिम्मेदार कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध और तथ्यात्मक जवाब मिलना चाहिए। इस अवसर पर राजफेड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी और अपेक्स बैंक के एमडी सहित सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और लंबित प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सहकारिता विभाग में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति काफी प्रभावी है। पिछले एक वर्ष में दर्ज कुल 1,22,779 प्रकरणों में से 1,18,340 का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का लगभग 96 प्रतिशत है। विभाग औसतन 13 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार शुरू की गई इस पहल के तहत सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर स्वयं हेल्पलाइन कंट्रोल रूम पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं।

डंडाली बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. डंडाली
पंचायत समिति - सिणधरी , जिला - बालोतरा
गत वर्षो से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
देय तिथि पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा कर डिफॉल्टर होने से बचें और सीजनली ब्याज मुक्त सहकारी ऋण प्राप्त करने के पात्र बनें
निंबसिंह अध्यक्ष
मानसिंह राजपुरोहित मुख्य कार्यकारी
सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस जागरूकता सत्र का आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (शीर्ष बैंक) द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और उसे अधिक प्रभावी बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान जैम पोर्टल के वरिष्ठ सहायक निदेशक ने ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के महत्व पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को पोर्टल पर पंजीकरण करने, विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की खरीद सुनिश्चित करने, बिडिंग (बोली) प्रक्रिया में भाग लेने और ऑनलाइन भुगतान के सुरक्षित तरीकों से अवगत कराया। इस तकनीकी सत्र में अधिकारियों को पोर्टल पर उपलब्ध नए अपडेट्स के बारे में भी विस्तार से बताया गया, ताकि भविष्य में सहकारी बैंक अपनी खरीदारी की समस्त प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल और त्रुटिहीन बना सकें। इस अवसर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं विभिन्न जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार को हाईकोर्ट की मान्यता

कोलायत केवीएसएस का संचालक बोर्ड भंग करने के आदेश पर अंतरिम राहत से हाईकोर्ट का इनकार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; कोर्ट ने रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र को माना सही

जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर की कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति के संचालक मंडल को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के सहकारिता विभाग पंजीयक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ द्वारा 4 मई 2026 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता हरिराम, जो कि कोलायत केवीएसएस के अध्यक्ष हैं, ने रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा 21 अप्रैल 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 'भंवर लाल बनाम राजस्थान राज्य' मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के तहत रजिस्ट्रार के पास इस तरह बोर्ड को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त करना कानून के विपरीत है। दूसरी ओर, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 105(10)(a) के तहत वैधानिक अपील का प्रभावी विकल्प मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खंडपीठ का फैसला रजिस्ट्रार को संचालक बोर्ड को भंग करने या हटाने की शक्ति से वंचित नहीं करता है, विशेषकर उन मामलों में जहां संचालक बोर्ड के सदस्य अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार लापरवाही करते हैं या ऐसा कार्य करते हैं, जो संचालक बोर्ड के सदस्यों या स्वयं संचाल बोर्ड के हितों के विरुद्ध हो। मामले की सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने पाया कि खंडपीठ के पूर्व फैसले का संबंध मुख्य रूप से चुनाव न होने के कारण लंबे समय तक प्रशासक के बने रहने से था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय ने रजिस्ट्रार की उस शक्ति को सीमित नहीं किया है, जिसके तहत वे किसी संचालक बोर्ड को भंग करके प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रार के आदेश को क्षेत्राधिकार के दायरे में माना और अंतरिम राहत के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।

सहकारिता विभाग में 160 पद खाली, जल्द हो सकती है डीपीसी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में सहकारिता विभाग में पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। विधायक विनोद कुमार पीलीबंगा द्वारा पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया है कि निरीक्षक ग्रेड-प्रथम के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति की कार्यवाही शुरू की जा सकती है विभाग द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में निरीक्षक ग्रेड-द्वितीय से ग्रेड-प्रथम के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित नहीं की जा सकी। इसका मुख्य कारण राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के नियम 27-ए के तहत निर्धारित 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना बताया गया है, साथ ही सहकारिता विभाग ने लिखित जबाव मे बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए विभाग ने वर्ष 2025-26 की पदोन्नतियों के लिए अनुभव में शिथिलता देने हेतु कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। इस संबंध में पत्रावली वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और कार्मिक विभाग द्वारा उठाए गए कुछ आक्षेपों की पूर्ति कर फाइल दोबारा भेजी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में निरीक्षक ग्रेड प्रथम के कुल 160 पद रिक्त चल रहे हैं। विभाग का कहना है कि जैसे ही कार्मिक विभाग से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, पात्र कर्मियों का निर्धारण कर पदोन्नति बैठक आयोजित की जाएगी वहीं विभाग में रिलीविंग लेटर या अन्य औपचारिकताओं के नाम पर फाइलें लंबित रखने के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहकारिता विभाग के स्तर पर ऐसा कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

नोसर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नोसर
पंचायत समिति - बायतू , जिला - बाड़मेर
गत वर्षो से किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
देय तिथि पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा कर डिफॉल्टर होने से बचें और सीजनली ब्याज मुक्त सहकारी ऋण प्राप्त करने के पात्र बनें
सत्ताराम चौधरी अध्यक्ष
तेजपाल गोदारा मुख्य कार्यकारी
सहकारिता का ध्येय वाक्य एक सब के लिए, सब एक के लिए

अवधिपार ऋणी किसानों को ब्याज और वसूली खर्च में शत-प्रतिशत छूट देकर पुनः ऋण का लाभ दिया जाएगा

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी, किसानों को मिलेगा शत-प्रतिशत ब्याज लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- 30 जून तक बढ़ी एकमुश्त समझौता योजना की अवधि, अब और भी किसान ले सकेंगे ब्याज माफी का लाभ।
- 100 प्रतिशत तक मिलेगी बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च में राहत
- 190 करोड़ रुपये की ब्याज राहत अब तक प्राप्त कर चुके हैं प्रदेश के किसान
- 143 करोड़ रुपये की राशि जमा कर 10,523 ऋणी किसान हो चुके हैं कर्ज मुक्त
- 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना का लाभ अब दोबारा ले सकेंगे पात्र किसान

जयपुर, राज्य सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया है। इस निर्णय से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत मिलेगी, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके थे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि गत वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई अतिवृष्टि से खरीफ 2025 की फसलें प्रभावित हुई थीं। इसके अतिरिक्त मार्च-अप्रैल 2026 में असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फसलों के खराब होने से अनेक पात्र ऋणी सदस्य आर्थिक कठिनाइयों के चलते योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। किसानों की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अवधि में विस्तार किया है। योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 की स्थिति में बकाया अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज तथा वसूली खर्च में शत-प्रतिशत राहत प्रदान की जाएगी। इससे पात्र ऋणी सदस्य अपने लंबित ऋण खातों का निस्तारण कर पुनः सहकारी ऋण व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणी सदस्य अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान पुनः मुख्यधारा में शामिल होकर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के पात्र बन सकेंगे। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक 10 हजार 523 ऋणियों ने अपने हिस्से की लगभग 143 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाकर लगभग 190 करोड़ रुपये की राहत प्राप्त की है। साथ ही, 561 ऋणियों द्वारा आंशिक राशि 2.93 करोड़ रुपये जमा करवाए गए हैं, जिन्हें शेष राशि जमा करवाने पर राहत प्रदान की जा सकेगी।

सहकार भवन के एसी मरम्मत हेतु 70 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । स्थित सहकार भवन में लगी एयर कंडीशनर (एसी) इकाइयों की मरम्मत के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक डॉ. समित शर्मा ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृति जारी की है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सहकार भवन में संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) अनुभाग के अंतर्गत आने वाले इन एसी की मरम्मत के लिए अवसायन फण्डसे कुल 70 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। यह निर्णय राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 66 (ग) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। मरम्मत का कार्य विशेष रूप से डेकिन कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से ही करवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। इस बजट के उपयोग को लेकर विभाग ने कड़े नियम और शर्तें भी तय की हैं। आदेश के मुताबिक, मरम्मत के लिए राशि का आहरण उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (जयपुर ग्रामीण) के कार्यालय में संधारित अवसायन कोष से किया जाएगा। कार्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत का काम केवल नियमानुसार निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। मरम्मत कार्य संपन्न होने के बाद, संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजस्थान राज्य सहकार भवन प्रबन्ध सहकारी संघ लिमिटेड से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त कर मुख्य कार्यालय को प्रेषित करें। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि मरम्मत के बाद स्वीकृत 70 लाख रुपये में से कोई राशि बचती है, तो उसे अनिवार्य रूप से पुनः अवसायन फण्ड में जमा कराया जाएगा। राशि का हस्तांतरण सीधे राजस्थान राज्य सहकार भवन प्रबन्ध सहकारी संघ लिमिटेड के बैंक खाते में किया जाएगा, जिसका विवरण विभाग ने साझा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरम्मत के बाद सहकार भवन की सभी एसी इकाइयों का बीमा करवाने का जिम्मा भी संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) को सौंपा गया है।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)
समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक ''मारवाड़ का मित्र'' किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।